

निदेशालय,

कालेज

राजस्थान सरकार

शिक्षा

राजस्थान,

जयपुर

कमाक-एफ-1(6)पीएस/निकाशि/2008/ 9 8 9

दिनांक-30-5-13


आदेश

राजस्थान सबोर्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल स्टाफ रूल्स, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन के उपरान्त निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों को वर्ष 2012-2013 की रिक्तियों के प्रतिकूल उनके नामों के आगे अंकित तिथियों से एतद् द्वारा नियमित रूप से कनिष्ठ लिपिक के पद पर निर्धारित वेतनमान रनिंग पे बेण्ड 5200-20200, ग्रेड पे रूपये 1900 (06) में पदोन्नत कर उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थानों पर पदस्थापित किया जाता है—

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन	चयन तिथि
1-	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्र०शा० वाहक	राज० महाविद्यालय, भरतपुर	राज० महाविद्यालय, भरतपुर	31-3-2013
2-	श्री कालू राम, च०श्रे०कर्म०	राज० महाविद्यालय, झालावाड़	राज० महाविद्यालय, कोटा	31-3-2013
3-	श्री घनश्याम लाल च०श्रे०कर्म०	राज० महाविद्यालय, किशनगढ़	राज० महाविद्यालय, किशनगढ़	31-3-2013
4-	श्री गोपी चन्द मीणा, च०श्रे०कर्म०	राज० महाविद्यालय, रामगढ़	राज० कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़	31-3-2013

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन स्थिरीकरण उनके नाम के आगे अंकित तिथि से होगा परंतु जिस अवधि में उन्होंने कनिष्ठ लिपिक पद का वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया है, उस अवधि का ऐरियर उन्हें देय नहीं होगा।

उपरोक्त कर्मचारी दिनांक 10-06-2013 तक अपने पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेवें, किसी कर्मचारी का कार्यग्रहण काल बढ़ाने सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।


निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-


1- सम्बन्धित प्राचार्य— नव पदोन्नत पद पर कर्मचारियों के कार्यग्रहण की सूचना तुरन्त फेक्स से भिजवाये।

2- सम्बन्धित कर्मचारी।

3- स्थापना शाखा।

4- रक्षित पत्रावली।

श्री बी.के.के. देवर्षि, धारवा० कालेज शिक्षा जयपुर


उप निदेशक,
कालेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर